

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)

पीठासीन अधिकारी : बिहारी लाल मीणा, आर०ए०एस०

अपील संख्या 75/2018

1- विजय सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति राजपुत निवासी विश्वनाथपुरा तहसील  
लाडनूं जिला नागौर

.....अपीलान्त

बनाम

1- तहसीलदार लाडनूं जिला नागौर राज०

.....रेस्पोंडेन्ट

उपरिधृत अधिवक्ता-

1-श्री महावीर प्रसाद भुर्जर एवं श्री विक्रम कुडी अधिवक्ता अपीलान्त

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरुद्ध निर्णय  
तहसीलदार लाडनूं बअनुवान राज०सरकार जरिये पटवारी हल्का,  
सुनारी बनाम विजयसिंह मु० नं० 50/18 अन्तर्गत धारा 91 एल.

आर. एक्ट दिनांक 11.09.2018

निर्णय

दिनांक : 23.01.2019

अपीलान्त की ओर से निम्न अपील पेश है :-

यह है कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सुनारी ने  
दिनांक 06.07.2018 को इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि अप्रार्थी विजयसिंह



अतिरिक्त जिला कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)

पुत्र श्री रणजीत सिंह जाति राजपूत निवासी विश्वनाथपुरा तहसील लाडनू जिला नागौर राज0 नं० खसरा नम्बर 304 रकबा 00.05 बीघा किस्म गैर मुमकिन भूमि पर पटवारीयों रोप कर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमी भूमि से वेदखल करने का निवेदन किया।

पटवारी हल्का, सुनारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर जाकर अप्रार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी को नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ जो शामिल मिसाल है। पटवारी हल्का से निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट प्राप्त की गई जो कि शामिल पत्रावली की गई।

हमने हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भली-भातिं अध्ययन एवम् अवलोकन किया, ग्राम विश्वनाथपुरा के खसरा नम्बर 304 किस्म गै० मु० गौचर रकबा 00.05 बीघा भूमि पर विजयसिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी विश्वनाथपुरा तहसील लाडनू जिला नागौर राज० द्वारा गौचर की भूमि पर अतिक्रमण किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि विजयसिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी विश्वनाथपुरा द्वारा पूर्व में अतिक्रमण किये जाने पर रा० भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर न्यायालय तहसीलदार लाडनू में मु० न० 50/2018 दर्ज कर नियमानुसार निर्णय दिनांक 11.09.2018 ( सरकार बनाम विजयसिंह ) में अतिक्रमी माना जाकर वेदखल किये जाने व सम्वत् 2075 की लगान दर 0.45 रुपये का 50 गुणा जुर्माना 06 रुपये के आदेश पारित किये है।

इस प्रकार उक्त अतिक्रमी माना जाकर धारा 91 एल आर एक्ट में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार अप्रार्थी को खसरा सं० 304 किस्म गै० मु० गौचर रकबा 00.05 बीघा भूमि से वेदखल किये जाने का आदेश दिया गया है। इस निर्णय से प्रभावित होकर अपीलार्थी यह अपील निम्न आधार पर प्रस्तुत करता है:-

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
डीठवाना (नागौर)



पिढियों से काबिज होकर रहवास करते आ रहे हैं। जिससे भी अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

7. यह है कि अपीलार्थी खसरा नम्बर 304 की भूमि में पिढियों से अपने रहवासी मकान बना कर रहा है तथा अपने रहवासी मकानात में बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के कनेक्शन भी संबंधित विभागों से ले रखे हैं। जिससे भी अपील अधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य हैं।
8. यह है कि अपीलान्ट के पास उक्त रहवासीये मकानात के अलावा अन्य कोई रहवासीये मकान व जायगा ग्राम विश्वनाथपुरा में उपलब्ध नहीं है, एक मात्र उक्त भूमि में बने मकानात ही रहवास का स्थान है जहाँ से अपीलार्थी को बिना किसी उचित कारण के ही वदखल कर दिया जाता है अथवा कर्षों की खुन पसीने की कमाई से बनाये गये रहवासीय मकानात को तोड़ फोड़ कर दिया जाता है तो अपीलार्थी उसके परिवार खुले आसमान के नीचे जीवनापन करने के लिये मजबूर हो जावेंगे। जिस पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं कर उक्त आदेश पारित किया है, जिससे उपरोक्त कार्यवाही अपीलान्ट के विरुद्ध ड्रॉप किया जाना न्याय हित में है।
9. यह है कि हल्का पटवारी ने भौतिक रूप से मौके पर बिना कोई नाप चौक किये ही नजरना तौर पर अतिक्रमण रिपोर्ट बनाकर अपीलान्ट के विरुद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही करने की अनुशंसा की है, जो मौके पर बिना कोई भौतिक रूप से नाप चौक किये ही तहसीलदार महोदय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जिससे उपरोक्त अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।
10. यह है कि मौके पर अपीलार्थी द्वारा उपर वर्णित खसरे में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।
11. यह है कि अन्य उजरात वर वक्त बहस अर्ज किये जावेंगे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)



12. यह है कि अपील श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है व अन्दर मयाद पेश है।

अतः अपील अपीलार्थी मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है किया है कि दिनांक 11.09.18 को पारित आदेश व निर्णय जैर अपील को अपारस्त व निरस्त फरमाये जाने की कृपा करावे।

अधिवक्ता अपीलान्त ने यह अपील दिनांक 11.10.18 को प्रस्तुत की गई जो दिनांक 15.10.18 को दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोंडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 16.11.18 को अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनू द्वारा प्रेषित रिकॉर्ड इस न्यायालय को प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया।

अपीलान्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा ग्राम विश्वनाथपुरा के खसरा नम्बर 304 रकबा 31.06 बीघा में से 0.05 बीघा गैर मु0 गोचर पर पट्टीया रोपकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर अपीलार्थी को न्यायालय नायब तहसीलदार लाडनू द्वारा अतिक्रमी घोषित कर भौतिक रूप से बेदखल किया गया तथा धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जुर्माना रूपये 06/- अक्षरे रूपये छः का अर्थदण्ड आरोपित किया गया तथा बेदखली के आदेश दिये गये।

अपीलान्त ने अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार लाडनू को दिया अपना जवाब में बताया कि सुनवाई के वगैर निर्णय किया गया है तथा मुतनाजा भूमि पर रहवासीये मकानात पर्वजो के समय से बने हुवे है तथा बिजली पानी कनेक्शन भी ले रखे है। तथा



  
जयपुर जिला न्यायालय  
जयपुर, राजस्थान

आवादी विस्तार के लिये जिला कलेक्टर नागौर से भी आवादी भूमि के लिये भूमि के आवंटन हेतु भी निवेदन किया हुआ है।

गौचर भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आराजी है। जिसमें धारा 16 आर. टी.एक्ट के तहत उक्त भूमि पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तथा न ही गोचर भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा आवादी का पट्टा जारी किया जा सकता है। तथा यह भी साबित नहीं होता कि अपीलान्त को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, क्योंकि अपीलान्त द्वारा दिनांक 11.9.18 को अपना जवाब पेश किया जो पत्रावली पर उपलब्ध है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध 40ह0 सुनारी व भू0अ0नि0 की, रिपोर्ट दिनांक 5.07.18 में भी विजयसिंह पुत्र रणजीतसिंह को गोचर भूमि पर पट्टियां रोपने पर अतिकमी बताया गया है। तथा मुतनाजा भूमि आवादी विस्तार भूमि से बाहर खसरा संख्या 304 किस्म गै0मु0 गोचर में स्थिति बताया है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.09.18 को किया गया निर्णय विधि सम्मत है।

∴ आ दे श ∴

अतः अपीलान्त की अपील खारीज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 11.09.18 बहाल रखा जाता है।



(विहारी लाल मीणा)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 23.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विहारी लाल मीणा)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)